न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 16/2016/भीलवाड़ा(2016/00018)

श्री कन्हैयालाल पिता कालूलाल पुरोहित उम्र 65 वर्ष पेशा कास्त निवासी कोदिया, थाना कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।

अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत नियम 18 आयुद्य अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
आदेश क्रमांक न्याय/आर्म्स/आदेश/2016/22163 दिंनाक 22–1–2016

———

उपस्थितः 1– श्री हेमराज गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 11–4–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के नाम 12 बोर सिंगल बेरल गन नम्बर 18420/1989 का आर्म्स अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/20/1989 जो दिनांक 31–12–2013 तक नवीनीकृत था जिसे आगामी तीन वर्षो के लिए नवीनीकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा ने जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा की रिपोर्ट में अकित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र संख्या 20/1989 को अपने आदेश दिनांक 22–1–2016 से निरस्त कर शस्त्र को थाना कोटड़ी जिला भीलवाड़ा में जमा कराने का आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 22–1–2016 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को नियमानुसार उक्त आदेश दिनांक 21–1–2016 के विरूद्ध अपील 30 दिन की समयावधि में प्रस्तुत की जानी थी लेकिन उक्त आदेश की प्रति बावजूद पृष्ठांकन के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को नहींभिजवाई गई व अपीलार्थी स्वयं ने अपने प्रयास से नकल आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 25–4–2016 को उक्त आदेश की नकल प्राप्त की। अपीलार्थी के बीमार रहने के कारण उक्त आदेश की प्रति प्राप्त करने में समय लगने के कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध थाना कोटड़ी में विचाराधीन प्रकरण संख्या 13/2008 अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 के तहत झूठा दर्ज कराया है। अपीलार्थी उक्त प्रकरण मे स्वास्थ्य खराब होने के कारण बार–बार न्यायालय पेशियों पर जाने में असमर्थ होने से मुक्ति चाहने हेतु न्यायालय से मांग की है न्यायालय ने नरम रूख अपनाते हुए उक्त प्रकरण में धारा 12 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया गया तथा उक्त निर्णय में अपीलार्थी की सरकारी अर्द्ध सरकारी /गैर सरकारी सेवाओं में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने बाबत आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी एक जागरूक नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता है। जिसके द्वारा राजकीय चिकित्सालय कोटड़ी के मोर्चरी में

पड़ी लाश को उठाने एवं हत्या का प्रकरण दर्ज करने संबंधी मांग को लेकर पुलिस द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध झूठा मुकदमा प्रकरण संख्या 178/2011 दर्ज कर दिया । उक्त प्रकरण में पुलिस आज दिनांक तक अपनी तफ्तीश पूर्ण नहीं कर पाई है न ही पुलिस ने उक्त प्रकरण में बाद तफ्तीश आज दिनांक तक अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अपराध प्रमाणित ही पाया है न ही उक्त प्रकरण में न्यायालय में अपीलार्थी के विरूद्ध कोई चालान ही पेश हुआ है फिर भी अधीनस्थ न्यायलय द्वारा केवल मात्र पुलिस थाने में 5 वर्ष पुराने प्रकरण को आधार मानकर अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी अपनी फसलो की सुरक्षा हेतु बन्दुक का उपयोग करता आ रहा है। अपीलार्थी द्वारा आज दिनांक तक लाईसेंस शर्तो का उल्लघन नहीं किया है और न ही इस संबंध में अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर अपीलार्थी के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर कानूनी भूल की है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–1–2016 निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 20/1989 का नवीनीकरण किये जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं समय–समय पर जारी परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो, के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा की रिपोर्ट पत्र क्रमांक 13553 दिनांक 25–08–2014 में अपीलार्थी के विरूद्ध मु0न0 13/08 अन्तर्गत धारा 341, 323 भा.द.स. में दर्ज होकर संबंधित न्यायालय में विचाराधीन है तथा प्रकरण संख्या 178/11 अन्तर्गत धारा 147,148,149,332,353 भा.द.स. व 3 पीडीपीपी एक्ट में दर्ज होकर जैर तफ्तीश होने के कारण तथा लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नवीनीकरण किया जाना अनुचित माना है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 22–1–2016 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 178/11 अन्तर्गत धारा 147,148, 149, 332,353 भा.द.स. व 3 पीडीपीपी एक्ट में दर्ज होकर जैर तफ्तीश है। पुलिस आज दिनांक तक अपनी तफ्तीश पूर्ण नहीं कर पाई है और न ही अपीलार्थी के विरूद्ध कोई अपराध प्रमाणित पाया है।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा की रिपोर्ट पत्र क्रमांक 13553 दिनांक 25–08–2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध मु0न0 13/08 अन्तर्गत धारा 341, 323 भा.द.स. में दर्ज होकर संबंधित न्यायालय में विचाराधीन है तथा प्रकरण संख्या 178/11 अन्तर्गत धारा 147,148,149,332 ,353 भा.द.स. व 3 पीडीपीपी एक्ट में दर्ज होकर जैर तफ्तीश होने का कथन किया है। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को धारा 21 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं है तथा प्रकरण संबंधित न्यायालय में जैर तफ्तीश है उक्त प्रकरणों में न्यायालय द्वारा क्या निर्णय पारित किया गया है ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर अपने आदेश क्रमांक 22163 दिनांक 22–1–2016 द्वारा लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी के नाम 12 बोर सिंगल बेरल गन नम्बर 18420/1889 का आर्म्स अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/20/89 निरस्त कर पुलिस थाना कोटड़ी जिला भीलवाड़ा में हथियार अविलम्ब जमा कराने का आदेश पारित किया है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,) भीलवाड़ा का आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/आदेश/2016/22163 दिनांक 22–01–2016 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर